अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए दिनांक 05.11.2020 दिशानिर्देश

दिनांक 5 नवंबर, 2020

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए दिशानिर्देश

(दिनांक 2 अगस्त, 2020 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों में जोड़े गए अतिरिक्त दिशानिर्देश)

यात्रा की योजना बनाने से पहले

क. सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से कम से कम बहत्तर घंटे पहले या संबंधित स्वास्थ्य काउंटर पर पहुंचने से पहले, पोर्टल www.newdelhiairport.in पर एक स्व-घोषणा पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

ख. यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले संबंधित एयरलाइन के माध्यम से पोर्टल या नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक घोषणा पत्र (अंडरटेकिंग) देने की ज़रूरत होगी, जिसमें कहा गया हो, कि वे अपने स्वास्थ्य के लिए चौदह दिनों तक स्वास्थ्य केंद्र/घर में पृथक-वास/स्व:निगरानी में रहने के लिए उपयुक्त सरकारी प्राधिकरण के निर्णय का पालन करेंगे।

ग. सिर्फ गर्भावस्था, परिवार में मृत्यु, गंभीर रोग और माता-पिता जिनके दस साल या उससे कम उम्र के बच्चे है उनके परिवार को होम क्वारंटाइन से चौदह दिनों तक के लिए छूट दी जा सकती है।

घ. यदि इस तरह की छूट चाहते हैं, तो वे इसके लिए आवेदन करेंगे। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल (www.newdelhiairport.in) पर बोर्डिंग से कम से कम बहत्तर घंटे पहले करेंगे। ऑनलाइन पोर्टल पर संचार के रूप में सरकार द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

ड़. यात्रियों को इंटरनेशनल क्वारंटीन से एग्जामशन मिल सकता है, यदि वे अपनी आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दें। यह आरटी पीसीआर टेस्ट यात्रा से बहत्तर घंटे पहले होना चाहिए और इसे पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके साथ यात्रियों को सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होगा, यह रिपोर्ट सच्ची है और गलत पाए जाने पर उन पर अपराधिक मामला दर्ज हो सकता है।

च. आरटी–पीसीआर के नेगेटिव सर्टिफिकेट के बिना पहुंचने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्री और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से छूट लेने के इच्छुक आरटी–पीसीआर परीक्षण (जहां इस तरह के प्रावधान मौजूद हैं) से गुजरने के लिए हवाई अड्डों पर उपलब्ध सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

छ. ऐसे सभी यात्री जो निगेटिव आरटी–पीसीआर सर्टिफिकेट देते हैं या हवाई अड्डे पर टेस्ट करवाते और जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से छूट के लिए चयन करते हैं, वे अपने स्वास्थ्य की स्व–निगरानी करेंगे और उन्हें क्वारंटीन से छूट दी जाएगी। आरटी–पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के बिना पहुंचने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और हवाई अड्डे पर आरटी पीसीआर परीक्षण का विकल्प होने पर टेस्ट नहीं करवाते है या ऐसे हवाई अड्डे पर पहुंचना जहां परीक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है, को सात दिनों के इंस्टिट्शनल और क्वारंटीन और सात दिनों के होम क्वारंटीइन में रहना होगा।

बोर्डिंग से पहले

ज. संबंधित एयरलाइंस/एजेंसियों द्वारा यात्रियों को टिकट के साथ क्या करें और क्या न करें? प्रदान किए जाएंगे।

झ. सभी यात्रियों को अपने मोबाइल उपकरणों पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी जाएगी।

ञ. उड़ान में सवार होने के समय केवल अलक्षणी यानी वे यात्री जिनमें लक्षण नहीं है, ऐसे यात्रियों को ही जाने की अनुमति होगी वो भी थर्मल स्क्रीनिग के बाद।

ट. हवाई अड्डों पर पर्यावरणीय स्वच्छता और कीटाणुशोधन जैसे उपयुक्त एहतियाती उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे।

ठ. बोर्डिंग के वक्त सभी संभावित उपाय जैसे कि शारारिक दूरी का पालन आदि सबका पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

यात्रा के दौरान

ड. जिन यात्रियों ने पोर्टल पर स्व–घोषणा पत्र नहीं भरा था, वो ही फ्लाइट में डुप्लीकेट स्व–घोषणा पत्र भरेंगे और उसकी एक कॉपी एयरपोर्ट पर मौजूद हेल्थ और इमिग्रेशन अधिकारी को देगें।

ढ़. इसके बाद हवाई अड्डों और उड़ानों के दौरान कोविड-19 के बारे में उपयुक्त घोषणा, जिसमें एहतियाती उपाय शामिल हैं प्रदान किए जाएगें।

ण. उड़ान के दौरान आवश्यक देखभाल जैसे मास्क पहनना, पर्यावरणीय स्वच्छता, श्वसन स्वच्छता, हाथ संबंधी स्वच्छता आदि का ध्यान एयरलाइन स्टाफ, चालक दल और सभी यात्रियों द्वारा किया जाना चाहिए।

आगमन पर

त. शारीरिक दूरी को सुनिश्चित करते हुए डिबोर्डिंग की जानी चाहिए।

थ. एयरपोर्ट पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिग की जाएगी। वहीं ऑनलाइन भरे गए स्व–घोषणा/सेल्फ डिक्लेरेशन (या स्व–घोषणा पत्र की एक प्रति दी जानी चाहिए) को हवाई अड्डे के स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिखाया जाएगा।

द. स्क्रीनिग के दौरान लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों को तुरंत आइसोलेट किया जाएगा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार चिकित्सा सुविधा केंद्र में ले जाया जाएगा।

ध. थर्मल स्क्रीनिग के बाद जिन यात्रियों को इंस्टिट्यूशनल क्वारंटाइन से छूट दी गई है उन्हें (पहले से पोर्टल पर संकेत के रूप में निर्णय) चौदह दिनों तक के लिए होम क्वारंटाइन करने की अनुमति देने से पहले अपने सेल फोन/अन्य मोड पर संबंधित राज्य काउंटरों को दिखाएगा। ऐसे सभी यात्रियों को नेशनल और स्टेट लेवल सर्विलांस ऑफिसर्स की सूची दी जाएगी और कॉल सेंटर के नंबर दिए जाएंगे, ताकि यदि होम क्वारंटाइन या स्वयं निगरानी के दौरान कोई लक्षण आते हैं, तो वह उन्हें सूचित कर सकें।

न. बाकी यात्रियों को उपयुक्त इंस्टिट्यूशनल क्वारंटाइन सुविधा केंद्रों में ले जाया जाएगा। संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सात दिनों की इंस्टिट्यूशनल क्वारंटाइन और सात दिनों की होम क्वारंटाइन से गुजरने की व्यवस्था की जाएगी। इन यात्रियों को न्यूनतम दिनों के लिए संस्थागत संगरोध के तहत रखा जाएगा। इस दौरान –

आईसीएमआर प्रोटोकॉल के अनुसार उनका परीक्षण किया जाएगा।

प. अगर यह एसिप्टोमेटिक या प्रिसिप्टोमेटिक या बहुत हल्के लक्षण वाले पाए जाते हैं, तो इन्हें होम आइसोलेशन या फिर कोविड केयर सेंटर (सरकारी या प्राइवेट) में भर्ती कराया जाएगा।

फ. जिन्हें हल्के मध्यम या गंभीर लक्षण होंगे उन्हें कोविड हेल्थ फैसिलिटी में भर्ती कराया जाएगा।

ब. अगर नेगेटिव पाए जाते हैं तो उन्हें अगले और सात दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करने के लिए कहा जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय यात्री जो बंदरगाहों/लैंड पोर्ट पर आते हैं

भ. बंदरगाह/भूमि बंदरगाहों के माध्यम से पहुंचने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भी ऐसे ही प्रोटोकॉल से गुजरना होगा। वर्तमान में ऐसे यात्रियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा उपलब्ध नहीं है।

म. ऐसे यात्री बंदरगाह/ भूमि बंदरगाहों पर आने पर संबंधित भारत सरकार के अधिकारियों को सेल्फ डिक्लेरेशन प्रस्तुत करेंगे।